पाठ - 6
नफिली रोज़े

الدرس السادس - هندي
صيام التطوع

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निम्नलिखित दिनों के रोज़ों पर उभारा है:

1. शव्वाल के 6 रोज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए तो यह उसके लिए साल भर रोज़ा रहने की तरह से होंगे। (सही मुस्लिम 1164)

2. सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े।

3. हर महीने के तीन दिन के रोज़े यदि ये रोज़े अय्यामे बीज़ के रखे तो बेहतर होगा और अय्यामे बीज़ तेरहवें, चौदहवें और पन्द्रहवें दिन को कहते हैं।

4. आशूरा, यानी दसवीं मुहर्रम के दिन। इस बारे में मुस्तहब यह है कि उसके साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद (यहूदियों की मुख़ालिफ़त में) रोज़ा रखा जाए। अबू क़तादा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

आशूरा के रोज़ा के बारे में अल्लाह से मेरी उम्मीद है कि उसके बदले पिछले एक साल का गुनाह माफ़ कर देगा। (सही मुस्लिम 1162)

5. अरफ़ा यानी नवीं ज़िलहिज्जा के दिन का रोज़ा: हदीस में आया है

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

अरफ़ा के दिन के रोज़ा के ताल्लुक़ से, अल्लाह से मेरी उम्मीद है कि वह उससे पहले और उसके बाद वाले साल होने वाली ग़लतियों को माफ़ फ़रमा देगा। (सही मुस्लिम 1162)

जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है

1. ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के दिन।

2. अय्यामे तशरीक़ यानी ज़िल हिज्जा की ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं तारीख़। अलबत्ता जो व्यक्ति हज्जे क़ेरान कर रहा होगा उसे इस हुक्म से छूट है। उसी तरह से हज्जे तमत्तो करने वाला भी जब उसे क़ुरबानी का जानवर उपलब्ध न हो।

3. हैज़ (माहवारी) और नफ़ास के दिनों में।

4. महिलाओं के पति की उपस्थिति में, उसकी अनुमति के बिना रोज़ा रखना। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

कोई औरत रमज़ान के अलावा, अन्य दिनों में अपने पति की मौजूदगी में उसकी अनुमति के बिना रोज़ा न रखे। (बुख़ारी 5192, मुस्लिम 1026)